न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 27/2023 अपील

1. श्रीमती अलका देवी पत्नि कुशवन्त बनाम
आमेटा निवासी– जोधड़ास तहसील
आसींद हाल निवास रायला तहसील
बनेड़ा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार बनेड़ा जिला
भीलवाड़ा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नायब तहसीलदार रायला प्रकरण संख्या 58/2023 निर्णय दिनांकित 25.04.2023

उपस्थित –
1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.04.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार रायला प्रकरण सं0 58/2023 निर्णय दिनांक 25.04.2025 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का रायला तहसील बनेडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट में बताया कि अपीलार्थीया के विरूद्व ग्राम रायला पटवार हल्का रायला की आराजी 4342/931 रकबा 0.1012 हैक्टे० में से 0.003 हैक्टे० बीघा भूमि पर पक्का निर्माण कर फसल काश्त कर ली। अपीलार्थी द्वारा उक्त मामले में अधिकार पत्र पेश कर, जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण निर्णित नहीं करने व तारीख पेशी नहीं बताने व प्रकरण के निस्ताराण करने पर आमादा होने से अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर महोदय, भीलवाडा के यहां स्थानानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसका प्रकरण संख्या 41/2023 विविध कायम होकर, निस्तारण से पूर्व ही दिनांक 25.04.2023 को अपीलार्थी को सुने बिना व बिना जवाब पेश करने का अवसर दिए ही, प्रफोर्मा में निर्णय पारित किया गया। जिसमें अपीलार्थी की बेदखली मय लगान का 50 गुणा शास्ति लगाई गई। जबकि अपीलार्थी द्वारा किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया। आराजी नम्बर 4342/931 सरकारी भूमि नहीं होकर आराजी नम्बर 931 के खातेदार द्वारा उक्त

अपीलार्थीया द्वारा उपयोग में ली जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय को स्थानान्तरण याचिका के सम्मन नोटिस प्राप्त हो जाने व उक्त स्थानान्तरण याचिका विचाराधीन होने के बावजूद भी उसके निस्तारण से पूर्व ही विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जो निरस्तनीय है। अपीलार्थीया जो की रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर मालिक काबिज है व अपीलार्थीया जो कि रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर मालिक काबिज है व अपीलार्थीया उक्त प्रकरण में साक्ष्य पेश करने से वंचित रही है। मामले में पटवार हल्का द्वारा जो मौका पर्चा पेश किया गया है, जो कि अपीलार्थीया की अनुपस्थिति में बनाए गए है, जो कि मौके पर्चे पर हस्ताक्षर है, जो व्यक्ति विशेष अपीलार्थीया को परेशान करने की गरज से हस्ताक्षर किए हैं। मामले में अपीलार्थीया को बिना सुने व बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना मनमकसूद तरीके से उक्त आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। अःत अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाये।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाण्ट ने ग्राम रायला के खसरा नम्बर 4342/931 रकबा 0.003 हैक्ट. भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का ने धारा 91 की रिपोर्ट पेश की थी। अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए नायब तहसीलदार रायला ने प्रकरण सं. 58/2023 निर्णय दिनांक 25.04.2023 से अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं वार्षिक लगान का 50 गुणा, 01/–रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली का जो निर्णय पारित किया गया वह सही है, उसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं। अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण में इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.05.2023 अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को अतिक्रमित स्थल की पुनः पैमाईश की जाने बाबत् आदेशित किया गया था। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना रिपोर्ट प्रेषित की गयी। जिसमें बताया गया कि अतिक्रमित आराजी की पैमाईश करने से पूर्व प्रार्थीया अलका देवी आमेटा को मौके पर उपस्थित होने हेतु दिनांक 12.06.2023 को पटवारी हल्का द्वारा घर पर पत्र देने

अति. जिला कलक्टर

गया, किन्तु प्रार्थीया ने सूचना पत्र लेने से मना किया। उसके बाद प्रार्थीया के पति को दूरभाष पर भी सूचित किया गया, बावजूद इसके नियत दिनांक 13.06.2023 को मौक पर उपस्थित नही हुये। पैमाईश टीम द्वारा पैमाईश की गयी, जिस अनुसार ग्राम रायला राजकीय आराजी नं. 4342/931 रकबा 0.003 हैक्ट. (15 बाई 25 फीट) पर पक्का निर्माण (धर्मकांटा) कर, अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण पाया गया। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को वक्त पैमाईश सुनवायी हेतु पूर्ण अवसर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए नायब तहसीलदार रायला ने प्रकरण सं. 58/2023 निर्णय दिनांक 25.04.2023 से अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं वार्षिक लगान का 50 गुणा, 01/–रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली का जो निर्णय पारित किया गया वह सही है, उसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं।

राजस्व रिकार्ड मे प्रश्नगत राजकीय भूमि आराजी संख्या 4342/931 किस्म बारानी iii है। जिस पर अतिक्रमी द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार एंव सक्षम अधिकार के आदेश के, पक्का निर्माण (धर्मकांटा) कर अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर पटवारी हल्का ने अतिक्रमण रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 58/2023 निर्णय दिनांक 25.04.2023 को जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार, रायला बमामले प्रकरण सं. 58/2023 निर्णय दिनांक 25.04.2023 के क्रम में अपीलाण्ट की अपील आधारहीन एवं सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रायला, तहसील बनेडा एवं तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा